

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

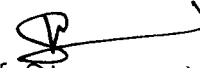
// आदेश //

क्रमांक C/5893 /

जबलपुर, दिनांक 03/09/2025

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर में पदस्थ कर्मचारियों को अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण एवं आकस्मिक अवकाश खाते में पात्रता निरंक होने के कारण कॉलम नं. 3 में उल्लेखित दिनाकों का अवैतनिक किया जाता है।

कं.	कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम	दिनांक
1	2	3
1	श्री मुकेश बिरहा, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 01.08.2025 से 4.08.2025 एवं 14.08.2025 तक (5 दिन)
2	श्री अमन परौची, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 31.07.2025, 01.08.2025, 04.08.2025, 05.08.2025, 07.08.2025, 13.08.2025 (6 दिन)
3	श्री प्रदीप कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 04.03.2025 एवं 10.07.2025 (2 दिन)


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5894 /

जबलपुर, दिनांक 03/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
5. श्री मुकेश बिरहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
6. श्री अमन परौची, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
7. श्री प्रदीप कुशवाहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)